


दिनांक	आज्ञा पत्र	
15/5/25-	<p>पत्रावली पेश। वकील अपील को हिरायात की जाती है। की कोर्ट है वही कर/रफ्तारी को। 10. 5. 2018 को पत्रावली पेश किया गया। 11/5/25 को कोर्ट को 12/5/25 पेश किया गया। 13/5/25 को कोर्ट को 14/5/25 पेश किया गया। 15/5/25 को कोर्ट को 16/5/25 पेश किया गया।</p>	
30/5/25-	<p>पत्रावली पेश। वकील अपील को हिरायात की जाती है कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंटस को रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। तहत को कोर्ट को पत्रावली रहे / तलब किया जाये। आगामी तिथि दिनांक 6.6.25 को पेश हो। पत्रावली में पूर्व में यदि स्थगन है तो उसे आगामी तिथि तक बढ़ाया जाता है।</p>	
6.8.25-	<p>पत्रावली पेश। वकील अपील को पूर्व पेशी पर हिरायात की गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रैस्पोंडेंटस को रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपील को रैस्पोंडेंटस को रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट है कि अपील को अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपील आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय सारे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फौजदार होकर न्याय के काम होकर बाद त्वरित तदर्थी दायित्व दफ्तर हो।</p>	

अनिल कुमार II RAS
 भू-प्रवन्ध अधिकारी एवं
 पदेन राजस्व अपील अधिकारी
 सीकर (कैम्प कुन्डुन)